Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में नगर पालिका, मालपुरा का तकनीकी सहायक एवं दलाल ठेकेदार 15 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *12 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई द्वारा आज बुधवार को मालपुरा टोंक में कार्यवाही करते हुये योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनू तकनीकी सहायक नगर पालिका, मालपुरा, जिला टोंक एवं दलाल प्रेमचंद माली ठेकेदार (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में कुल राशि के 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में मनीष सोनी चैयरपर्सन पति नगर पालिका मालपुरा, योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनू तकनीकी सहायक नगर पालिका, मालपुरा, जिला टोंक एवं दलाल प्रेमचंद माली ठेकेदार (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा 25 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर देहात के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में** शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के **उप अधीक्षक पुलिस श्री संजय कुमार व पुलिस निरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह** द्वारा मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनू पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा निवासी चौमुखाजी मंदिर के पास, डिग्गी, जिला टोंक हाल तकनीकी सहायक नगर पालिका, मालपुरा, जिला टोंक एवं दलाल प्रेमचंद माली पुत्र श्री रामकिशोर निवासी वार्ड नं0 27, पुरानी तहसील, बम्ब तलाव के पास, मालियों का मौहल्ला, मालपुरा टोंक हाल ठेकेदार ग्रेड–सी क्लास (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।